राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 471/2007

श्याम सिंह **–अपीलार्थी**

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये प्रमुख शासन सचिव, गृह मंत्रालय विभाग, राजस्थान सरकार, सचिवालय, जयपुर।
2. पुलिस महानिरीक्षक, भरतपुर रेंज, भरतपुर।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 23.02.2007

आदेश की दिनांक : 31.10.2023

उपस्थित –

अपीलार्थी की ओर से : श्री उम्मेद सिंह तंवर, अभिभाषक

प्रत्यर्थीगण की ओर से : डॉ. पुष्पेन्द्र पाल सिंह, राजकीय अधिवक्ता

समक्ष :– शुचि शर्मा, सदस्य
लेखराज तोसावड़ा, सदस्य

आदेश

प्रस्तुत अपील में अपीलार्थी ने यह अनुतोष चाहा है कि अपील स्वीकार कर आलोच्य आदेश दिनांक 21.07.2005 को अपास्त फरमाया जावे तथा प्रत्यर्थी विभाग को यह निर्देश दिए जावें कि अपीलार्थी को सेवा में बहाल करते हुए समस्त पारिणामिक लाभ प्रदान किए जावें।

अपील के तथ्य संक्षेप में निम्न प्रकार हैं :–

अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता का कथन है कि अपीलार्थी की नियुक्ति आदेश दिनांक 10.01.1983 के द्वारा पुलिस उप निरीक्षक के पद पर हुई थी और आलोच्य आदेश दिनांक 21.07.2005 के द्वारा उसे अनिवार्य सेवानिवृत्ति दे दी गई। राज्य सरकार के परिपत्र दिनांक 21.04.2000 एवं नये दिशा–निर्देश तथा नवीन परिपत्रों के आधार पर एवं नियम 53(1) और पेंशन नियम के अंतर्गत सर्वप्रथम एपीएआर आदि की जांच के आधार पर उसका सेवाभिलेख का निरीक्षण स्क्रीनिंग कमेटी द्वारा किए जाने के उपरांत रिव्यू कमेटी को प्रेषित किया जाता है और रिव्यू

कमेटी की अभिशंषा के आधार पर सेवानिवृत्ति आदेश जारी किया जाता है। परंतु वर्तमान प्रकरण में अपीलार्थी के संबंध में उक्त प्रक्रिया विभाग द्वारा नहीं अपनाई गई और उसे अनिवार्य सेवानिवृत्ति दे दी गई। जबकि अपीलार्थी द्वारा सराहनीय एवं उत्कृष्ट कार्य करने पर अनेको बार उसे वर्ष 2003 एवं 2005 में पुरस्कृत किया गया एवं प्रशस्ति पत्र भी प्रदान किए गए। अपीलार्थी को विभाग द्वारा निंदा एवं सूक्ष्म दण्ड़ दिए गए। परंतु सीसीए नियम के प्रावधानों के तहत बिना चार्जशीट जारी किए परिनिंदा के दण्डों को अभिलिखित किया गया और इस प्रकार अपीलार्थी वर्ष 1985 से 2002 तक 19 बार छोटे–छोटे दण्डों से दण्डित किया गया, जिसके संबंध में अपीलार्थी ने विभाग को अभ्यावेदन भी दिया, परंतु उस पर कोई विचार नहीं किया गया। छोटे दण्डों को छोड़कर अपीलार्थी की संचयी प्रभाव से वार्षिक वेतन वृद्धि को रोका गया। अपीलार्थी ने कभी भी किसी न्यायालय में उक्त दण्ड़ों को चुनौती नहीं दी। उनका कथन है कि अपीलार्थी का दो बार स्थानान्तरण होने एवं स्थानान्तरण आदेश को निरस्त हो जाने पर पुलिस अधीक्षक के नाराज होने से अपीलार्थी को गलत तरीके से झूठे आरोप लगाने के आधार पर छोटे–छोटे दण्ड दिए गए। श्री पंकज कुमार सिंह द्वारा अपीलार्थी के कार्य की सराहना की गई और दिनांक 28.09.1998 को सम्मानित किया गया। अपीलार्थी को पूर्व के सूक्ष्म दण्डो के आधार पर अनिवार्य सेवानिवृत्त किया गया। श्री बी.बी.भारद्वाज, एस.आई., गंगाराम एस.आई., मंगल सिंह एस.आई., जगदीश नारायण एस.आई., अमलचंद सी.आई. जो छोटे एवं बडे दण्डों से दण्डित किए गए और सेवाभिलेख भी अपीलार्थी से ज्यादा घटिया है, फिर भी उनको सेवा में बहाल कर दिया गया। जबकि अपीलार्थी को नहीं किया गया। अपीलार्थी ने विभागीय समिति को अभ्यावेदन प्रस्तुत किया, परंतु उसका कोई निराकरण नहीं किया गया और उससे व्यथित होकर अपीलार्थी ने अधिकरण के समक्ष अपील प्रस्तुत करते हुए प्रार्थना की है कि अपील स्वीकार कर आलोच्य आदेश दिनांक 21.07.2005 को अपास्त फरमाया जावे तथा प्रत्यर्थी विभाग को यह निर्देश दिए जावें कि अपीलार्थी को सेवा में बहाल करते हुए समस्त पारिणामिक लाभ प्रदान किए जावें।

प्रत्यर्थी विभाग के विद्वान् राजकीय अधिवक्ता ने अपील का लिखित जवाब प्रस्तुत करते हुए यह प्रतिवाद किया है कि अपीलार्थी के खिलाफ सेवाकाल में 26 छोटे व बडे दण्ड दिए गए, जो लापरवाही, उदासीनता, अकर्मण्यता एवं आदेशों की अवहेलना करने एवं सत्यनिष्ठा संदिग्ध पाए जाने के फलस्वरूप स्क्रीनिंग कमेटी द्वारा अनिवार्य सेवानिवृत्ति दिए जाने की अनुशंषा किए जाने पर अपीलार्थी को जनहित व राज्यहित में अनिवार्य सेवानिवृत्ति दिया जाना उचित माना है। अपीलार्थी

के खिलाफ लगाए गए आरोप सत्य हैं। अपीलार्थी को सीसीए नियम 17 के अंतर्गत दिनांक 30.05.1988, 31.03.1989, 22.08.1990, 31.01.1991, 17.07.1993, 27.04.1995, 12.10.1998, 22.01.2002 एवं 31.12.2004 के द्वारा परिनिंदा के दण्डों से दण्डित किया गया, जिसके तहत अपीलार्थी की वार्षिक वेतन वृद्धियां बिना भावी प्रभाव से रोकी गई और उक्त आधारों पर अपीलार्थी को अनिवार्य सेवानिवृत्ति प्रदान की गई। अतः अपीलार्थी की अपील खारिज फरमाई जावे।

हमने उभय पक्ष के विद्वान् अधिवक्तागण की बहस सुनी एवं पत्रावली पर उपलब्ध समस्त दस्तावेजों का ध्यानपूर्वक अवलोकन कर मनन किया।

प्रकरण के तथ्यों, अभिवचनों एवं अभिलेख से यह स्पष्ट होता है कि अपीलार्थी की नियुक्ति आदेश दिनांक 10.01.1983 के द्वारा पुलिस उप निरीक्षक के पद पर हुई थी और आलोच्य आदेश दिनांक 21.07.2005 के द्वारा उसे अनिवार्य सेवानिवृत्ति दे दी गई। राज्य सरकार के परिपत्र दिनांक 21.04.2000 एवं नये दिशा–निर्देश तथा नवीन परिपत्रों के आधार पर एवं नियम 53(1) और पेंशन नियम के अंतर्गत सर्वप्रथम एपीएआर आदि की जांच के आधार पर उसका सेवाभिलेख का निरीक्षण स्क्रीनिंग कमेटी द्वारा किए जाने के उपरांत रिव्यू कमेटी को प्रेषित किया जाता है और रिव्यू कमेटी की अभिशंषा के आधार पर सेवानिवृत्ति आदेश जारी किया जाता है। अपीलार्थी के संबंध में उक्त प्रक्रिया विभाग द्वारा नहीं अपनाई गई और उसे अनिवार्य सेवानिवृत्ति दे दी गई। जबकि अपीलार्थी द्वारा सराहनीय एवं उत्कृष्ट कार्य करने पर अनेको बार उसे वर्ष 2003 एवं 2005 में पुरस्कृत किया गया एवं प्रशस्ति पत्र भी प्रदान किए गए। जहां तक अपीलार्थी को आलोच्य आदेश दिनांक 21.07.2005 के द्वारा अनिवार्य सेवानिवृत्ति दिए जाने का प्रश्न है, अपीलार्थी द्वारा उसके सेवाकाल के दौरान वर्ष 2003 एवं 2005 में सराहनीय एवं उत्कृष्ट कार्य किए जाने पर उसे पुरस्कृत किया गया। परंतु इस बात से भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता कि अपीलार्थी को सीसीए नियम 17 के अंतर्गत दिनांक 30.05.1988, 31.03.1989, 22.08.1990, 31.01.1991, 17.07.1993, 27.04.1995, 12.10.1998, 22.01.2002 एवं 31.12.2004 के द्वारा परिनिंदा के दण्डों से दण्डित किया गया, जिसके कारण अपीलार्थी की वार्षिक वेतन वृद्धियां बिना भावी प्रभाव से रोकी गई और उसे प्रत्यर्थी विभाग द्वारा उसकी सेवाकाल का मूल्यांकन करते हुए उसे अनिवार्य सेवानिवृत्ति दी गई। ऐसी स्थिति में हम यह आदेश देना समीचीन समझते हैं कि अपीलार्थी द्वारा अपील में वर्णित आधारों पर प्रत्यर्थी विभाग के सक्षम अधिकारी को इस आदेश के जारी होने की दिनांक से एक माह में अभ्यावेदन प्रस्तुत करे और प्रत्यर्थी विभाग को यह निर्देश दिए जाते हैं कि अपीलार्थी के सेवाकाल का

सही नियमानुसार मूल्यांकन कर एवं राज्य सरकार के नियमों/परिपत्रों/दिशा–निर्देशों को ध्यान में रखते हुए दो माह में अभ्यावेदन का निस्तारण करें, जिसकी सम्यक सूचना अपीलार्थी को दी जावे।

अतः उपर्युक्त निर्देशों के साथ अपील मय स्थगन प्रार्थना पत्र के अंतिम रूप से निस्तारित की जाती है।

(लेखराज तोसावड़ा)
सदस्य

(शुचि शर्मा)
सदस्य